444371

संख्याः /III(2)/2026-01(बजट)2026/E– 71456

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून, दिनांक 29 अक्टूबर, 2026

विषयः- वित्तीय वर्ष **2026-27** के आय-व्ययक में पूँजीगत पक्ष में मानद मद सडकों का नवीनीकरण में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग देहरादून के पत्रांक 4318/52/बजट (नवीनीकरण कार्य)/2026-27, दिनांक 23.10.2026, शासनादेश सं0 I/389173/III(2)/2026-01(बजट)2026/E–71456, दिनांक 21.04.2026 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-I/384289/2026 दिनांक 01 अप्रैल, 2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग हेतु अनुदान संख्या- 22 के अन्तर्गत पूँजीगत पक्ष में लेखाशीर्षक 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-05-सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-05-सडकों का नवीनीकरण-00-51-(अनुरक्षण) मद में प्राविधानित धनराशि ₹ 200.00 करोड़ के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में **₹ 100.00 करोड़ (रुपये एक सौ करोड़ मात्र)**की धनराशि, निम्न शर्तो के अधीन, व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

i. उक्तानुसार अवमुक्त की जारी रही धनराशि के सापेक्ष सी0सी0एल आवंटन, खण्डवार स्वीकृत कार्यों की कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्य की प्रगति तथा कार्य की तात्कालिक आवश्यकता, के आधार पर की जायेगी तथा इसकी सूचना शासन को भी प्रेषित की जायेगी।

ii. उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण, वितरण अधिकारी द्वारा बी0एम0-4 प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह के व्यय का विवरण अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय-12 के प्रस्तर-101 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर-113 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी (मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि.) द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा। प्रशासनिक विभाग बजट मैनुअल के प्रस्तर-115 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

iii. पूँजीगत पक्ष की संलग्न योजनाओं की सी.सी.एल. प्रत्येक त्रैमास में समय से निर्गत कर उसकी प्रति प्रत्येक त्रैमास में शासन को भी प्रेषित की जायेगी। विभागाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक खण्ड से समय से योजनाओं का विवरण प्राप्त करके समय से उसकी साख सीमा निर्गत करायें ताकि स्वीकृत की जा रही धनराशि का समय से उपयोग हो सके और योजना का लाभ जनता को प्राप्त हो सके। इस सम्बन्ध में उत्तरदायी अधिकारी के द्वारा विलम्ब से विभागाध्यक्ष को योजनाओं का विवरण सूचित करने के कारण सी0सी0एल0 निर्गत करने में विलम्ब होता है तो उसका

File No. PWD2-BUD/BUDD/2/2024-III-2-Public Works Department (Computer No. 71456)
Generated from eOffice by PANKAJ KUSHWAHA, RO-PWD Section 2-PK, REVIEW OFFICER, Public Works Department on 29/10/2026 05:55 pm

Scanned with OKEN Scanner

स्पष्टीकरण प्राप्त कर ठोस कारण न होने पर उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी और लगातार दो बार योजनाओं का विवरण समय से न भेजे जाने के कारण यदि पुनः सी0सी0एल0 निर्गत करने में विलम्ब होता है तो उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। मुख्य अभियन्ता का यह भी दायित्व होगा कि विभागीय योजनाओं की समय से समीक्षा कर समय से प्रतिशत के अनुसार सी0सी0एल0 निर्गत करेंगे।

iv. सर्वप्रथम उन निर्माणाधीन कार्यों को पूर्ण किया जाय, जिसमें 75 प्रतिशत का कार्य पूर्ण हो चुका है। तत्पश्चात् 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुके कार्यों को वरीयता दी जाये।

v. वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड V भाग-V के प्राविधानों के सभी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने के बाद ही आवश्यकता के अनुसार धनराशि आवश्यकता होने पर ही आहरित एवं वितरित की जायेगी।

vi. इस सम्बन्ध में सचिव, वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या- I/384289/2026 दिनांक 01 अप्रैल, 2026 में उल्लिखित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

vii. उत्तराखण्ड में लागू समस्त वित्तीय नियमों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली2025 के अधीन ही समस्त प्रक्रियायें पूर्ण की जायेंगी तथा ऐसे कार्य जो मानक के अनुसार 18 माह में पूर्ण होने चाहिये, ऐसे प्रकरणों में अधिवृद्धि या शेड्यूल रेट्स की दरों में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी।

viii. साख सीमा के आधार पर आवंटित धनराशि का एकमुश्त आवंटन आहरण वितरण अधिकारी/कार्य स्थल पर किया जाय एवं उसका पूर्ण विवरण बजट मैनुअल के प्रस्तर-10 में भरकर शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

ix. जिन प्रकरणों पर शासन से पूर्वानुमति की आवश्यकता हो उन पर यथाशीघ्र सुस्पष्ट विवरण एवं प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

x. इस सम्वन्ध में वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अक्षरतः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों हेतु बजट आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। वित्त अनुभाग-1 के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में शासन स्तर से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उक्तानुसार पूँजीगत पक्ष के सुसंगत उप मानक मद में धनराशि में **₹ 100.00** करोड़ **(रुपये एक सौ करोड़ मात्र)** का बजट आवंटन लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22 में आपको आवंटित कोड सं0-4227 में किया जा रहा है। अतः तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-22, के लेखाशीर्षक 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-05-सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-05-सडकों का नवीनीकरण-00-51-(अनुरक्षण) सडकों का नवीनीकरण के नामे डाला जायेगा।

3- ये आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- I/384289/2026 दिनांक 01 अप्रैल, 2026 द्वारा प्रतिनिधानित व्यवस्थान्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः- यथोपरि।

भवदीय

Digitally signed by
Mahaveer Singh Chauhan
Date: 29-10-2026
17:19:13

(महावीर सिंह चौहान)
अपर सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. एकीकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय (साइबर ट्रेजरी), 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
अपर सचिव

Scanned with OKEN Scanner

IFMS Uttarakhand

वजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2026 - 2027)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/444371/2026
अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S26100220072
आवंटन पत्र दिनांक-29-OCT-2026

लेखा शीर्षक	5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय 337-सड़क निर्माण कार्य 00--	05-सड़कें 05-सड़कों का नवीनीकरण

Voted

5	0	5	4	0	5	3	3	7	0	5	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
51-अनुरक्षण	1000000000	1000000000	0	2000000000
योग	1000000000	1000000000	0	2000000000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.1,00,00,00,000 (Rupees One Hundred Crores Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

UTTARAKHAND

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, "नियोजन-।" उत्तराखण्ड़ देहरादून

(OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, PWD, DEHRADUN UTTARAKHAND)

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd
E-mail: p1hodpwduk@gmail.com

पत्रांक– 1383/20याता०(वित्तीय स्वीकृति)नियो०–1/2026, दिनांक– 5 नवम्बर,2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग,.....।
2. अधीक्षण अभियन्ता,.....वृत्त, लोक निर्माण विभाग,.....।
3. अधिशासी अभियन्ता,.....खण्ड़, लोक निर्माण विभाग,.....।
4. आई०टी० सैल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. सहायक लेखाधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अपर सहायक अभियन्ता, प्राविधिक वर्ग विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
कार्या० प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner